HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 10198/2025

Shakti @ Sumit S/o Vijay Pal Singh, Aged About 21 Years, R/o Mankheda, Ps Kathumar, District Alwar (Rajasthan) (At Present Confined In Central Jail, Alwar)

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Pp
2. Shr Son Ra, Resident Of Thana Malakheda, At Present Resident Of Ambedkar Nagar, Alwar (Rajasthan)

----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Girish Khandelwal
For Respondent(s) : Mr. Sudesh Saini, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

26/02/2026

प्रार्थी की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना वैशालीनगर, जिला–अलवर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 135/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 137(2), 74, 115(2), 126(2), 189(2), 304(2), 70(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3/4(2), 5(एल)/6, 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा पीड़िता के धारा 180, 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कथनों में घटनाक्रम में भिन्नताएं हैं तथा उसके साथ कब–कब दुष्कर्म किया गया और किस स्थान पर किया गया, इस संबंध में भी सारवान् विरोधाभास है। पीड़िता का न्यायालय में परीक्षण हो चुका है और प्रतिपरीक्षा में उसने वाहन में अपने साथ किसी प्रकार के दुष्कर्म से इनकार किया है, जबकि चिकित्सकीय परीक्षण के समय चिकित्सक के समक्ष वाहन में स्वयं के साथ

दुष्कर्म होना कहा है। इस प्रकार से उसके द्वारा भिन्न–भिन्न स्थानों पर भिन्न–भिन्न कथन किये जाते रहें हैं, जिससे उसके कथन मिथ्या होना प्रकट होते हैं। प्रार्थी दिनांक 20.05.2025 से अभिरक्षा में है तथा प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। विचारण में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि पीड़िता साढ़े 13–14 वर्ष की बालिका है तथा उसने अपने धारा 180, 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा न्यायालय के कथनों में प्रार्थी पर दुष्कर्म के स्पष्ट आक्षेप लगाये हैं। अवयस्क पीड़िता की सहमति का विधि की दृष्टि में कोई महत्व नहीं है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध गम्भीर अपराधों का अभियोग है। अतः अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध धारा 137(2), 74, 115(2), 126(2), 189(2), 304(2), 70(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3/4(2), 5(एल)/6, 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराधों का अभियोग है। प्रार्थी पर पीड़िता के साथ एक से अधिक बार दुष्कर्म करने का आक्षेप है। पीड़िता न्यायालय के समक्ष पीडब्ल्यू 1 के रूप में परीक्षित हुई है, जिसने **अपने कथन में स्पष्ट रूप से प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा अपने साथ दुष्कर्म किया जाना प्रकट किया है।** इस प्रक्रम पर साक्ष्य का सूक्ष्म विवेचन किया जाना न तो उचित है और न ही वांछनीय है। पीड़िता वक्त घटना लगभग साढ़े 13–14 वर्ष की आयु की होकर अवयस्क थी तथा उसकी समहति विधि की दृष्टि में कोई महत्व नहीं रखती है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध गम्भीर अपराधों का अभियोग है। उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

VISHAL SHARMA /06